न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला बीकानेर

इजलास :– श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या :– 14 / 2019

अनवान :–
राजस्व वाद
स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) कोलायत

................................वादी

पन्नाराम पुत्र दौलताराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार

.........................प्रतिवादी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित अभिभाषकगण

1. पेरोकारराज वादी राज्य के लिये
2. इकतरफा कार्यवाही प्रतिवादीगण के लिए

–: निर्णय :–

दिनांक :– 12.02.2020

12.02.2019 को विचाराधीन प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत हुआ।

संक्षेप में प्रकरण से सम्बन्धित तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी स्टेट ऑफ राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार कोलायत ने एक आवेदन पत्र पन्नाराम अप्रार्थी के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत करने हुवे अभिकथन किया कि

1. यह है कि रोही ग्राम कोटडी के खसरा नम्बर 5 मी रकबा 0.293 बविपा व ख. न. 6 रकबा 2.55 बविपा किता रकबा 2.843 हैक्टर प्रतिवादी पन्नाराम पुत्र दौलताराम जाति मेघवाल सा. देह खातेदार की खातेदारी भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड के है।
2. यह है कि पटवारी हल्का कोटडी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार उक्त खसरा नम्बर 5 मी रकबा 0.293 हैक्टर व खसरा नम्बर 6 रकबा 2.55 बहिपा किता 2.843 हैक्टर में अवैध खनन कार्य बिना सक्षम अधिकारी के किया गया है। रिपोर्ट पटवारी व जमाबन्दी संलग्न है।
3. यह है कि प्रतिवादी के द्वारा किये गये अवैध खनन के कारण कृषि भूमि का उपयोग अकृषि कार्य के लिये हुआ है, जिससे उक्त खसरा नम्बर 5 मी व खसरा नम्बर 6 के मूल स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार प्रतिवादी के विरूद्ध राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 177 के तहत वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी को बेदखल किया जाकर काश्तकारी अधिकार रिज्यूम किये जाकर कब्जा बहक सरकार लिया जावे।
4. अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि रोही ग्राम कोटडी के खसरा नम्बर 5 मी रकबा 2.93 हैक्टर व खसरा नम्बर 6 रकबा 2.55 बहिपा किता 2 रकबा 2.843 हैक्टर में बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अवैध खनन कर कृषि भूमि का उपयोग अकृषि प्रयोजनार्थ करने के कारण इस वाद पत्र को स्वीकार किया जावें।

उक्त खसरा नम्बर 5 मी रकबा 0.293 हैक्टर व खसरा नम्बर 6 रकबा 2.55 बहिपा किता 2 2 रकबा 2.8343 भूमि राज्य सरकार के पक्ष में रिज्यूम करने के आदेश देते हुए खातेदारी अधिकार समाप्त किये जावें।
नोटिश जारी किया गया। नोटिश तामील हुवा। प्रतिवादीगण बावजुद तामील के अनुपस्थित रहे। लगातार दिनांक 20.02.2019 से पत्रावली जबाव से जैरकार रही। प्रतिवादी अनुपस्थित रहने पर दिनांक 27.02.2020 को एकतरफा कार्यवाही अमल मे लायी गयी। एकतरफा बहस समायत की गयी।
परिणामस्वरूप वाद वादी खिलाफ प्रतिवादी स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री निम्न सादिर की जाती है :–

1. कि तहसील कोलायत के ग्राम कोटडी के खसरा नम्बर 5 मी रकबा 0.293 हैक्टर व खसरा नम्बर 6 रकबा 2.55 बहिपा किता 2 रकबा 2.843 हैक्टर जो राजस्व विभाग की जमाबन्दी सवंत 2074–2077 में अंकित है, का आराजीराज दर्ज करने के आदेश दिये जाते है, तथा इसमें प्रतिवादी का नाम कलमजन किया जाता है।
2. कि विवादित भूमि से प्रतिवादी को बेदखल किया जाता है।
3. कि विवादित भूमि का कब्जा बहक सरकार लिया जावें।

उपरोक्तानुसार पर्चा डिक्री मुरतीब किया जावें। निर्णय व डिक्री की एक प्रति तहसीलदार कोलायत को पालनार्थ भिजवायी जावें।
आदेश आज दिनांक 12.03.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।
निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pradeep Kumar
Date: 2020.03.20 12:34:27 IST
Reason: SelfAttested